



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 752) पटना, वृहस्पतिवार, 9 जुलाई 2026

परिवहन विभाग

अधिसूचना

15 मई 2026

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026

सं० 06/ईवी नीति-13-02/2026-3748 इलेक्ट्रिक वाहन प्रक्षेत्र में, हाल के तकनीकी-आर्थिक विकास और बिहार के नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्साहपूर्ण स्वीकार्यता के आधार पर राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' का सूत्रण करते हुए अधिसूचना संख्या-9172 दिनांक- 05.12.2023 प्रकाशित की गई थी। उक्त नीति को निम्न प्रकार संशोधित किया जा सकेगा।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-

- यह नीति बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 कहा जा सकेगा।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होगा।

2. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' की कंडिका-4 का संशोधन। - उक्त नीति की कंडिका-4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

4. मिशन- एक दीर्घकालिक परिवहन पारिस्थितिकी का विकास करना, जो 2030 तक अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता पर केन्द्रित हो।

3. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' की कंडिका-5 का संशोधन। - उक्त नीति की कंडिका-5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

5. लक्ष्य-यह सुनिश्चित करना कि 2030 तक बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन होने वाले नये वाहनों में से 30% इलेक्ट्रिक वाहन हों।

4. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 की कंडिका-7 का संशोधन। - उक्त नीति की कंडिका-7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

7. इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित ग्राह्यता (adoption) के लिए प्रोत्साहन।-

7.1 "मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना" अन्तर्गत बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure Electric Vehicle), जो विनिर्दिष्ट दिशा निर्देश के अनुरूप क्रय किये गए हों, को इस नीति एवं योजना के प्रभावी रहने की अवधि में निम्नरूपेण प्रोत्साहन की राशि देय होगी-

(I) इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के लिए।-

इलेक्ट्रिकवाहन का प्रकार	सामान्य वर्ग के लिए	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए
इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन	रु0 50,000/-प्रति वाहन	रु0 60,000/-प्रति वाहन

(II) इलेक्ट्रिक गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए।-

इलेक्ट्रिकवाहन का प्रकार	सामान्य वर्ग के लिए	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए
इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन	महिलाओं के लिए रु0 12,000/- प्रति वाहन	
	रु0 10,000/-प्रति वाहन	रु0 12,000/- प्रति वाहन
इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (केवल महिलाओं के लिए)	रु0 1,00,000/-प्रति वाहन	

यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए ही मात्र देय होगा।

7.2 सभी प्रकार के वाहनों के लिए सामान्य प्रावधान।-

- बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों (दुपहिया/तिपहिया यात्री वाहक एवं मालवाहक/चारपहिया/हल्के मालवाहक/ भारी वाहन-बस तथा मालवाहक) को मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।
- बिहार राज्य में क्रय किये एवं निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों के वाहन स्वामी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार अपने पुराने वाहनों के स्क्रेपिंग प्रोत्साहन के भी पात्र होंगे।
- ऊपर वर्णित सभी प्रकार के बिहार राज्य में क्रय किये एवं निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहन (Pure Electric Vehicle) के लिए प्रोत्साहन देय होगा।
- सार्वजनिक पार्किंग:- नगरीय एवं अन्य प्राधिकार द्वारा सभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नगर/शहर द्वारा सिटी पार्किंग प्लान तैयार कर अनुदानित दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का ऑन स्ट्रीट पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान किया जाएगा।
- लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजना के तहत एक से अधिक समरूप प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के अन्तर्गत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति 50% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन उनके दुपहिया वाहनों के बेड़ा में शामिल करने होंगे। इस नीति का अनुपालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसम्मत कर्वाई की जा सकेगी।

- (vii) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के तहत सभी अनुज्ञप्तिधारक एग्रीगेटरों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान करते हुए वर्ष 2030 तक अधिकतम दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन के लिए प्रेरित किया जायेगा।
- (viii) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश, 2019 के अन्तर्गत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन उनके बेड़ा में शामिल करना होगा। इस नीति का अनुपालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।
- (ix) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित सभी नए तिपहिया वाहनों (यात्रीवाहक/मालवाहक), चारपहिया वाहन, हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (मालवाहक), भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।
- (x) नगर विकास एवं आवास विभाग अपने भवन उप विधि में इस आशय का संशोधन लाएगी कि कोई भी बहुमंजिला ईमारत, शॉपिंग मॉल, बड़े आवासीय परिसर तथा वैसे सभी बड़े संरचनाओं वाले ईमारत में चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य करेगी।
- (xi) सभी पेट्रोल पम्प को लाईसेंस निर्गत किए जाने के समय इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के अधिष्ठापन से संबंधित कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही पूर्व से परिचालित सभी पेट्रोल पम्प/गैस स्टेशन शीघ्रातिशीघ्र अपने परिसर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन अधिष्ठापित करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।
- (xii) बड़े होटल्स एवं सड़क मार्ग पर अवस्थित सभी मोटल्स में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का अधिष्ठापन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

5. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' की कंडिका-8 का संशोधन। - उक्त नीति की कंडिका-8 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

8. चार्जिंग स्टेशन हेतु आधारभूत संरचना

8.1 चार्जर का प्रकार एवं प्रोत्साहन।- चार्जिंग की आधारभूत संरचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्राह्यता की कुंजी है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस हेतु सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार निम्नांकित कोटि के चार्जर चार्जिंग स्टेशनों पर स्थापित किए जा सकते हैं एवं इस हेतु कोटि के अनुसार प्रोत्साहन राशि चार वर्षों तक ही देय होगी:-

कोटि-1: इलेक्ट्रिक वाहन -ए0सी0 चार्जर (3-Guns) धीमा/मध्यम चार्जर:

- **प्रोत्साहन :** प्रथम 900 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 15,000/- रु0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 75,000/- रु0 ही देय होगा।

कोटि-2: इलेक्ट्रिक वाहन-ए0सी0 चार्जर (2-Guns) तेज चार्जर:

- **प्रोत्साहन :** प्रथम 450 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 37,500/- रु0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 2,25,000/- रु0 ही देय होगा।

कोटि-3 : इलेक्ट्रिक वाहन-डी0सी0 चार्जर (2-Guns) धीमा/मध्यम चार्जर:

- **प्रोत्साहन :** प्रथम 450 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 37,500/- रु0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 2,25,000/- रु0 ही देय होगा।

कोटि-4 : सी0सी0एस0/CHAdEMO चार्जर (2-Guns) तेज चार्जर:

- **प्रोत्साहन :** प्रथम 90 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 50% तथा 1,50,000/- रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 15,00,000/- रू0 ही देय होगा।

6. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' की कंडिका-9 का संशोधन। - उक्त नीति की कंडिका-9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

9. **संचालन मॉडल।-**भू- स्वामित्व, स्थापना का प्रकार, संचालन, संधारण तथा उपयोग के आधार पर राज्य में चार्जिंग स्टेशन के निम्नांकित मॉडल क्रियान्वित किए जाएंगे:-

9.1 **सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन**

PM E-Drive Scheme के तहत निर्धारित दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा एवं निर्धारित मापदंड पर चार्जिंग स्टेशन अधिष्ठापित किया जायेगा।

9.1.1 PM E-Drive योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका-6 में वर्णित कोटि-A के अनुसार सभी सरकारी स्थलों पर चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर के माध्यम से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जायेगी। इन स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन राशि के पात्र नहीं होंगे।

9.1.2 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत प्राक्कलित बजटीय उपबंध की राशि का उपयोग PM E-Drive योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका-6 में वर्णित कोटि-B के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा देय निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त Upstream Infrastructure पर 20 प्रतिशत तथा EV Supply Equipment पर 30 प्रतिशत राशि का व्यय बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त नहीं अथवा कम होने के स्थिति में PM E-Drive योजना के क्रियान्वयन पर किया जा सकेगा।

9.1.3 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत प्राक्कलित बजटीय उपबंध की राशि का उपयोग PM E-Drive योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका-6 में वर्णित कोटि-C के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा देय निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त Upstream Infrastructure पर 20 प्रतिशत तथा EV Supply Equipment पर 100 प्रतिशत राशि का व्यय बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त नहीं अथवा कम होने के स्थिति में PM E-Drive योजना के क्रियान्वयन पर किया जा सकेगा।

9.1.4 **उक्त नीति अन्तर्गत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना**

(ii) व्यावसायिक उपयोग मात्र के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन सरकारी भूमि एवं निजी भूमि पर स्थापित किये जा सकते हैं।

(iii) बिहार सरकार का कोई निगम, बोर्ड, स्थानीय नगर निकाय एवं लोक उपक्रम अपने स्वामित्व की भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका-8 के अनुरूप प्रोत्साहन के पात्र होंगे।

9.1.5 **उक्त नीति अन्तर्गत अर्द्धसार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना।-** सभी सरकारी भूमि, गैर आवासीय भवनों के स्वामी के निजी एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु एवं बाजार संघ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) एवं 5 समतुल्य बाइक स्पेस चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को व्यावसायिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका-8 में यथा वर्णित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। हालाँकि किसी खास स्थान पर अधिकतम 5 (पाँच) EV चार्जर के लिए ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।

9.2 **निजी चार्जिंग स्टेशन।-** आवासीय भवनों के स्वामियों/आवासीय कल्याण संघों/सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा निजी प्रयोजन हेतु स्थापित चार्जिंग स्टेशन।

सभी आवासीय भवनों के स्वामी/आवासीय कल्याण संघ/सरकारी गृह निर्माण समितियाँ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) के लिए चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका-8 में वर्णित शर्तों के अधीन कोटि-1 के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

9.3 सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन के लिए सामान्य प्रावधान

- (i) सभी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक-14.01.2022 एवं उसके पश्चात् निर्गत संशोधनों एवं प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, उनकी अवस्थिति एवं वितरण भी ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक-14.01.2022 एवं उसके पश्चात् निर्गत संशोधनों के अनुसार होगी।
- (iii) सभी आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने सदस्यों को चिन्हित पार्किंग क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए संबंधित को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत किया जा सकेगा।
- (iv) पेट्रोल पंपों द्वारा भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा सकेगा, बशर्ते चार्जिंग स्टेशन का क्षेत्र विभिन्न अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रासंगिक प्राधिकार के अग्नि एवं सुरक्षा मापदंड को पूर्ण करते हों।
- (v) ईवी चार्जिंग स्टेशनों का स्थापना राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी ऑपरेटरों या सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
- (vi) इस नीति के प्रभावी रहने के अवधि के अन्दर स्थापित किये जाने वाले पहले 1000 (एक हजार) या 50 मेगावाट (जो भी अधिक हो) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए सरकारी भूमि 50 प्रतिशत व्यय की दर पर आवंटित की जायेगी।
- (vii) चार्जिंग स्टेशन सेवा प्रदाता अपने परिसर में कैप्टिव उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित कर सकेंगे और राज्य के अंदर स्थित उत्पादन संयंत्रों से ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत भी प्राप्त कर सकेंगे, ताकि ईवी चार्जिंग की स्थापना की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों की अवधि के लिए समान संचरण और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत की छुट का लाभ उठा सके।
- (viii) उपरोक्त लाभ एकल सेवा प्रदाता के स्वामित्व आदि ईवी चार्जिंग स्टेशनों के श्रृंखला के लिए भी उपलब्ध होंगे।
- (ix) राज्य ईवी चार्जिंग स्टेशनों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा से संवर्द्धन और उपयोग के संबंध में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करेगा।
- (x) कंडिका-8-(i) के अनुसार प्रोत्साहन राशि मात्र उन व्यक्तियों एवं इकाईयों को दी जायेगी, जिन्होंने बिहार सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुदान का लाभ नहीं लिया हो।
- (xi) प्रोत्साहन केवल उन्हीं चार्जर के लिए देय होगा, जो Bharat EV Charger (BEVC-AC001 and BEVC-DC001) की विशिष्टताओं को पूर्ण करता हो।
- (xii) प्रोत्साहन राशि मात्र उन व्यक्तियों एवं इकाईयों को दी जायेगी, जिनके द्वारा ऑन लाईन विभागीय पोर्टल पर आवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. उक्त नीति अन्तर्गत कंडिका-7.1 में अंकित इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से संबंधित अनुदान मात्र वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रभावी रहेगा। नीति के शेष प्रावधान वित्तीय वर्ष 2029-30 तक के लिए प्रभावी होगी।

8. उक्त नीति के प्रभावी होने की तिथि से बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित वाहनों के लिए कंडिका-7 के अनुरूप एवं राज्य में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु कंडिका-8 के अनुरूप प्रोत्साहन राशि का दावा अनुमान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज कुमार,
सचिव।

Transport Department

Notification

The 15th May 2026

Bihar Electric Vehicle (Amendment) Policy, 2026

No. 06/ EV Policy-13-02/2026-3748—Based on the recent techno-economic development in the EV sector and the eco technological enthusiastic adoption of electric vehicles by the citizens of Bihar, the government formulated “Bihar Electric Vehicle Policy, 2023” for the promotion of electric vehicles and EV charging stations which published by the Notifications No. 9172 dated-05-12-2023. The said policy is hereby amended as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—

- (i) This Policy may be called the Bihar Electric Vehicle (Amendment) Policy, 2026.
- (ii) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (iii) It shall come into force from the date of issuance of notification.

**2. Amendment of Para-4 of the Bihar Electric Vehicle Policy, 2023:-
Substitution of Para-4 of the said Act shall be as follows:-**

- 4. Mission.**—To develop a long-term transport ecosystem focused on increasing the availability of electric vehicles, with a target extending up to 2030.

**3. Amendment of Para-5 of the Bihar Electric Vehicle Policy, 2023:-
Substitution of Para-5 of the said Act shall be as follows:-**

- 5. Goal.**—To insure that 30% of the new vehicles purchased and registered in Bihar are electric vehicles by 2030.

**4. Amendment of Para-7 of the Bihar Electric Vehicle Policy, 2023:-
Substitution of Para-7 of the said Act shall be as follows:-**

7. Incentives For Early Adoption of Electric Vehicles.—

- 7.1 Incentive shall be provided under the “Mukhyamantri Bihar Paryavaran Anukul Parivahan Rojgar Yojana” for purchase and registration of electric vehicles (Pure Electric Vehicle) in the state of Bihar, where such purchase is made in accordance to the specified guidelines and such incentive will be provided only until the period of effectiveness of this policy.

(i) For Electric Commercial Vehicles.—

Type of Electric vehicles	For General Category	For SC/ST Category
Electric Goods Carriers three wheeler vehicle	Rs. 50,000/- per vehicle	Rs. 60,000/- per vehicle

(ii) For Electric Non-Commercial Vehicles

Type of Electric vehicles	For General Category	For SC/ST Category
Electric two wheeler vehicle	For women Rs. 12,000/- per vehicle	
	Rs. 10,000/- per vehicle	Rs. 12,000/- per vehicle
Electric four wheeler vehicle (Only for women)	Rs. 1,00,000/- per vehicle	

This Subsidy shall be provided only for the financial year 2026-2027.

7.2 Common Provision for All Categories of Vehicles.—

- (i) Electric Vehicles (Two Wheelers/Three Wheelers for Passengers and goods/Four Wheelers/Light Goods vehicles/ Heavy vehicles such as buses and goods carriers) purchase and registered in state of Bihar, will get a 50% exemption on Motor vehicle tax, till the time policy remain in force.
- (ii) Owner(s) of electric vehicles purchased and registered in Bihar shall also be eligible for scrapping incentives for the old vehicles as per notifications issued by the Ministry of Road Transport & Highway, Government of Bihar from time to time.
- (iii) The incentives shall be provided for all the above categories of pure electric vehicles purchased and registered in Bihar.
- (iv) Public Parking:- Municipal authorities will provide subsidized parking for all the individual EVs. Each Towns/Cities will prepare a city parking plan providing for on-street parking places for electric vehicles with subsidized fees and EV charging stations.
- (v) The beneficiary shall not be liable to claim more than one similar incentive under any other scheme run by the State Government.
- (vi) All licensed aggregators under Bihar Taxi Aggregator Operational Directives, 2019 shall have to maintain, in their two-wheelers fleet, at least 20% electric two-wheelers in the first two years, 40% electric two-wheelers by the end of 3rd year and 50% electric two-wheelers by the end of 4th year from the date of notification of this policy. Lawful action may be taken by the competent authority in case of non-compliance of this policy.
- (vii) All licensed Aggregators under Bihar Taxi Aggregator Operational Directives, 2019 shall be encouraged to operate a

maximum number of electric two-wheeler by the year 2030 by way of giving due exemption in permit fee during the policy effective period in light of the provisions of Ministry of Road Transport & Highway, Government of Bihar.

- (viii) All licensed aggregators under Bihar Taxi Aggregator Operational Directives, 2019 shall have to maintain, in their four-wheelers fleet, at least 20% electric four-wheelers in the first two years, 40% electric four-wheelers by the end of 3rd year and 50% electric four-wheelers by the end of 4th year from the date of notification of this policy. Lawful action may be taken by the competent authority in case of non-compliance with this policy.
- (ix) All new registered electric Three-wheelers (Passenger/Goods Carriage), Four-wheelers, Light Electric Motor Vehicles (Goods Carriage), Heavy Electric Motor Vehicles (Bus and Goods Carriage) purchased and registered in Bihar shall be given due exemption in permit fee during the policy period in light of the provisions of Ministry of Road Transport & Highway, Government of Bihar.
- (x) The Urban Development and Housing Department will introduce an amendment to its building bylaws to the effect that it will be mandatory to establish charging stations in any multi-story building, shopping mall, large residential complex, and all such buildings with large structures.
- (xi) All petrol pumps will be encouraged to take action regarding the installation of electric charging stations at the time of issuing their licenses. Additionally, all existing/operational petrol pumps and gas stations shall take steps toward installing electric charging stations within their premises at the earliest.
- (xii) Large hotels and all motels located along highways/roadways will be encouraged to install electric charging stations

5. Amendment of Para-8 of the Bihar Electric Vehicle Policy, 2023.—
Substitution of Para-8 of the said Act shall be as follows:-

8. Charging stations infrastructure

8.1 Category of Chargers and Incentives.—Availability of charging infrastructure is the key of EV adoption. Providing accessible EV charging stations in Bihar is the prime objective of this policy. Keeping this in consideration, the Government shall endeavour to establish a network of both private and public charging stations across the State.

As per the Guidelines issued by the Ministry of Power, Government of India, the following categories of chargers can be set

up in various charging stations and for this, the categories – wise incentivewill be payable for four years.

Category-1: Electric Vehicle-AC charger (three Guns) Slow/Moderate Charger:

- **Incentive:** 75% on purchase of equipment/machinery and Rs 15,000 as installation cost (excluding the cost of land) per charger, subject to a maximum of Rs75,000/- for the first 900 chargers.

Category-2: Electric Vehicle-AC charger (two Guns) Fast Charger:

- **Incentive:** 75% on the purchase of equipment/machinery and Rs 37,500 as installation cost (excluding the cost of land) per charger, subject to a maximum of Rs 2,25,000/- for the first 450 chargers.

Category-3: Electric Vehicle-DC charger (two Guns) Slow/Moderate:

- **Incentive:** 75% on the purchase of equipment/machinery and Rs 37,500 as installation cost (excluding the cost of land) per charger, subject to a maximum of Rs2,25,000/- for the first 450 chargers.

Category-4: CCS/CHAdEMO Charger (two guns) Fast Charger:

- **Incentive:** 50% on the purchase of equipment/machinery and Rs 1,50,000 for installation cost (excluding the cost of land) per charger, subject to a maximum of Rs.15,00,000/- for the first 90 chargers.

6. Amendment of Para-9 of the Bihar Electric Vehicle Policy, 2023:- Substitution of Para-9 of the said Act shall be as follows:-

9. **Operational Model.**—Depending upon the land ownership, type of establishment, operation, maintenance and usage, the following models of charging stations shall be implemented in the state:-

9.1 **Public/Semi-Public Charging Stations.**—The guidelines laid down under the PM E-DRIVE Scheme will be followed and charging stations will be installed as per the prescribed standards.

9.1.1 Public charging stations will be established at all government locations through charging point operators, as described in category A, Para- 6 of the PM E-DRIVE scheme guidelines. Charging stations at these locations will not be eligible for the incentives provided under the Bihar Electric Vehicle (Amendment) Policy, 2026.

9.1.2 Under Bihar Electric Vehicle (Amendment) Policy,2026 the estimated budgetary provision will be utilized for category-B as per Para-6 of the PM E- DRIVE scheme guidelines. In addition to the subsidy provided by the Government of India, and additional 20% of the

expenditure on Upstream Infrastructure and 30% of the expenditure on EV Supply Equipment may be utilized for implementation. This applies in cases where no applications are received or if funds are insufficient under the PM E-DRIVE Scheme.

9.1.3 Budgetary Provisions for Upstream Infrastructure (Category-C): Under the Bihar Electric Vehicle (Amendment) Policy, 2026 the estimated budgetary provision will be utilized for category-C as per Para-6 of the PM E- DRIVEScheme guidelines. In addition to the subsidy provided by the Government of India, an additional 20% of the expenditure on Upstream Infrastructure and 100% of the expenditure on EV Supply Equipment may be utilized for implementation under the Bihar Electric Vehicle (Amendment) Policy, 2026. This is applicable if no applications are received or if funds under the PM E- DRIVEScheme are low.

9.1.4 *Establishment of Public Charging Stations under the said Policy*

(ii) Charging Stations established for commercial use only can be set up on government land and private land.

(iii) Any corporation, board, local municipal body and Public under taking of the government of Bihar shall be eligible for incentives as per Para-8 for the setting up public charging stations on the land owned by them.

9.1.5 *Establishment of Semi-Public Charging Stations under the said Policy.*—All owners of government Land, non-residential buildings for personal and commercial use, and market associations having designed parking areas with a minimum of 5 equipment car spaces (ECS) and 5 equivalent bike spaces will be given incentives for setting up commercial charging stations as described in Para-8. However, the incentives will be payable only for a maximum of 5 (five) EV chargers at a particular location.

9.2 *Private Charging Stations.*—Charging stations established for private use by Residential Building Owners/Residential welfare Associations (RWAs)/ co-operative housing societies.

All Existing Residential Building Owners/Residential Welfare Associations/Government Housing Societies having earmarked

parking area for minimum 5 equivalent car spaces (ECS) will be given incentives as per category-1 for setting up charging stations subject to the conditions mentioned in Para-8.

9.3 General Provisions for all types of charging stations

- (i) All EV charging stations, to comply with the Ministry of Power, Government of India circular dated 14.01.2022, and any amendments or provisions thereafter.
- (ii) Establishment of Public Charging Station, their location and distribution shall also be as per the Ministry of Power, Government of India circular dated 14.01.2022 and any amendments thereafter.
- (iii) All housing and commercial establishments shall give a 'No Objection Certificate' (NOC) to its members who wish to install a charging station with the designated parking space.
- (iv) Patrol pumps can also set up charging stations subject to complying with fire and safety standard norms of relevant authorities under relevant Acts/Rules.
- (v) EV charging stations may be set up by the state/central public sector undertakings, private operators or through public private partnership model.
- (vi) For the first 1000 (one thousand) or 50 MW (whichever is higher) renewable energy based EV charging stations to be set up within the period of validity of this policy, government land will be allotted at the rate of 50% of the cost.
- (vii) Charging station service providers may install renewable energy generation plants for captive use at their premises and also obtain renewable energy power through open access from generation plants located within the state to avail 100% rebate in uniform transmission and wheeling charges for a period of twenty-five (25) years from the date of installation of EV charging stations.
- (viii) The above benefits will also be available to the chain of EV Charging Stations owned by a single service provider.
- (ix) The State shall support research and development activities related to augmentation and utilization of renewable energy by EV charging stations.

- (X) As per Para-8-(i), the incentive amount will be given only to those individuals and units who have not availed the benefits of subsidy for charging stations under any other scheme of the Government of Bihar.
- (xi) The Incentive will be applicable only for those chargers that meet the specifications of Bharat EV Charger (BEVC-AC001 and BEVC-DC001).
- (xii) Incentive amount will be given only to those individuals and units who will submit the application online on the departmental portal.

7. The subsidy for electric Commercial and non-commercial vehicles mentioned under Para-7.1 of said Policy shall be applicable only for the financial year 2026-2027. The remaining provisions of this policy shall remain effective till the financial year 2029-30.

8. From the date of coming into effect of the said Policy, the claim for incentive amount as per Para-7 for vehicles purchased and registered in the state of Bihar and as per Para-8 for setting up of charging station in the state will be admissible.

By the order of the Governor of Bihar,
RAJ KUMAR,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 752-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>